Gcms-2025/1310 (उपनाम/भूमिधारी)

पत्रावली पेश हुई। वकलाप [illegible]
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/10/25
को पेश हो।

6/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/10/25
को पेश हो।

14/10/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी उक्त प्रकरण में अपनी खातेदारी की भूमि ख0नं0 1344 में आने जाने के लिए रास्ते का अनुतोष चाहता हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम ठीकरिया तहसील नीमकाथाना अवस्थित खसरा नम्बरान 1344 में आने जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1414/1347 किस्म बारानी 2 सिवायचक भूमि से होकर निकटतम रास्ता हैं। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि की लम्बाई 38 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर कुल क्षेत्रफल 190 वर्गमीटर (0.0190 है0) हैं। उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं एवं अत्यान्तिक आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थी की तन ग्राम ठीकरिया तहसील नीमकाथाना अवस्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान 1344 में आने जाने के लिए भूमि ख0नं0 1414/1344 में से मुताबिक नक्शा ट्रेस व तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थी से उक्त रास्ता

तारीख / हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा की जा चुकी हैं। पुनः अवलोकन कर उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	